

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जोरहाट

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) इकराहिया

पीठासीन अधिकारी :- ~~...~~ R.M.S

उनवान

जोहराहाट बनाम जोरहाट

दावा बाबत दुखती 2-219 113 89 RT Act 1985

मुकदमा नम्बर :- 23/05-02-2011

निर्णय दिनांक :- 10-06-2016

वादी की ओर से ... की व प्रतिवादी की ओर से ... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-06-2016 को ... उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - ... 101, 193, 195, 198, 215, 227, 614/219 श्वाला.सं. 53 ...

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर, जोरहाट

वाद के खर्चे

Table with 4 columns: वादी, रुपया, प्रतिवादी, रुपया. It lists various court fees and costs for both parties, with diagonal lines indicating that each party bears their own costs.

10/6/16

10/6/16

आज मर पत्रावली के मकान में (पुस्तक) वाली उपायवाली वाली को इस  
 गणना वाली के द्वारा पत्र लिख ताकि संपन्न वा.प.वा.प. इकाई का  
 प्रमाणपत्र, पैर कार्ड, आरक्षण कार्ड, नाम.सं. 54 ग्राम पंचायत, यशगढ़  
 का अन्वयकन किया गया कि यह वाली मांगम जोड़ी नाम पुत्र  
 स्थालु राम द्वारा जन्म है - वाली का पाल हिंदी किया जावा है आ.प.क.  
 181, 193, 195, 196, 216, 227, 614/219 खाना सं. - 53 वाके ग्राम पंचायत  
 तह. कोट कासिम में वाली के पिता का नाम स्थालु कलम जग किया जावे  
 स्थालु राम की किये जाने के आदेश दिये जावे है उम्माउहाल शलकालिक  
 में अमम परामद किया जावे पत्रावली नमक संकमहाक (अपवकमीय वा.प.क.)  
 केवल की जावे

*[Signature]*  
 उपमहक अधिकारी  
 जंजनासिम (अमम)